छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री दिनेश कुमार मन्डोवरा, R.A.S.

प्रकरण संख्या 41/2017 निर्णय दिनांक : – 07 –

1– जगदीश पिता नानुराम मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
2– प्रेमचन्द पिता नानुराम मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
3– बंशीलाल पिता जोरजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
4– [illegible] पुत्री जोरजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
5– [illegible] बेवा जोरजी मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
6– [illegible] पिता बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
7– [illegible] बेवा बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
8– [illegible] पुत्री बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
9– [illegible] पुत्री बंशीलाल मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— वादीगण

–: ब ना म :–

1– [illegible] पिता किशोरिया मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
2– [illegible] पुत्री किशोरिया मेघवाल आयु वयस्क निवासी सेमरथली
3– राज. सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादडी तहसील छोटीसादडी जिला प्रतापगढ़ (राज.)

—— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टे.एक्ट
बाबत घोषणा, निषधाज्ञा व ईन्द्राज दुरूरस्ती

उपस्थित :– 1– [illegible] पंचोली एडवोकेट —— अभिभाषक वादी
2– प्रतिवादी की तरफ से —— एक तरफा कार्यवाही

—: निर्णय :——

वादीगण ने एक वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी [illegible] वादी सं. 3 से 9 के पूर्वज जोरजी व बंशीलाल ने यानी चारो भाईयो जगद[illegible] [illegible], जोरजी व बंशीलाल ने मील कर किशोरिया पिता सेवा चमार निवासी सेमरथली से उ[illegible] [illegible] की गाव सेमरथली में स्थित साबीक आराजी सं. 185/1 रकबा 2 बीघ[illegible] [illegible] दिनांक 3–3–1986 को 12,000/रूपये में जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद थी, [illegible] उक्त आराजी पर साधिकार काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे [illegible] छोटीसादडी तहसील का भुप्रबन्धक विभाग द्वारा पेमाईसी कार्य किया गया। जिसमें भुप्रबंध[illegible] [illegible] वाद की कलम सं. 1 में वर्णीत साबीक आ.सं. 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बी[illegible] [illegible] आराजी नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर बनाये परन्तु उक्त नये आराजी नम्बर 3[illegible] [illegible] 0.46 हेक्टर को खातेदार चारो भाईयो जगदीश प्रेमचन्द, जोरजी व बंशीलाल के नाम [illegible] [illegible] में दर्ज नहीं कर पुनः किशोरिया पिता सेवा चमार के नाम पर दर्ज कर दी, त[illegible] [illegible] के देहान्त के बाद उक्त आराजी विरासत से प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने मिल मुलाव[illegible] [illegible] दर्ज करवाली, जबकि वाद– ग्रस्त आराजी पर क्रय करने की दिनांक 3–3–1986 [illegible] [illegible] खातेदार वादीगण काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है। इसलि[illegible] [illegible] उक्त आराजी सं. 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा जिसके नये आराजी नं. 35[illegible] [illegible] 0.46 हेक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे, तथा राजस्व रेकार्ड में [illegible] प्रतिवादी सं. 1 व 2 का नाम हटा कर उनके स्थान पर वादीगण का नाम अंकित कर रेकार्ड क[illegible] [illegible] जावे।

वादीगण ने अपने वाद में यह भी अंकित किया कि वादग्रस्त जमीन पर उसका कब्जा चला आ रहा हैं परन्तु जमीन की किमते बढ जाने से प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 उक्त जमीन अपने नाम पर होने का नाजायज फायदा उठा कर आ॰सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर पर कब्जा बता कर बेचान करना चाहते हैं। इसलिये प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 को उक्त कार्य करने से स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। वादीगण ने अपने अभिभाषक के जरिये एक सूचना पत्र धारा 80 सी.पी.सी. का मियादी दो माह का कलक्टर साहब प्रतापगढ़ को दिलवाया की पुरानी आराजी सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा जिसके नये नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर बने हैं को वादी सं॰ 1 व 2 ने तथा उनके भाई जोरजी व बंशीलाल ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के खरीद का कब्जा प्राप्त किया है। परन्तु भूप्रबन्ध विभाग वालो ने पुनः उक्त जमीन खरीददार वादी सं॰ 1 व 2 तथा जोरजी बंशीलाल के नाम पर दर्ज करने के बजाय पुनः किशोरिया के नाम पर दर्ज कर दी व किशोरिया के देहान्त के बाद विरासत से प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 ने गलत अपने नाम दर्ज करवाली हैं। जो वापस वादगण के नाम दर्ज कराई जावे। परन्तु उक्त नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया ना जमीन पुन वादीगण के नाम दर्ज की हैं। इसलिये यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को बाद जांच रिपोर्ट के दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रति॰ सं॰ 1 व 2 को जरिये सम्मन तलब किया, परन्तु प्रतिवादीगण बावजुद तामील दिनांक 27–6–2017 को न्यायालय मे हाजीर नहीं हुवे इसलिये उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान कर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में स्वयं वादी जगदीश ने अपना शपथ पत्र व गवाह भंवरलाल पिता हरीराम जी जाति मेघवाल निवासी सेमरथली का शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर अपने बयान लेखबद्व कराये हैं, तथा दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने विक्रय पत्र की प्रमाणित प्रति, मीलान क्षैत्रफल की प्रमाणीत प्रति, नई जमाबन्दी की नकल, नोटीस की नकल, पोस्ट की रसीद व खाते की नकल आदी पेश कर उन्हे प्रदर्श 1 से प्रदर्श 5 तक के रूप में प्रदर्शीत करवा कर वादीगण ने अपनी साक्ष्य बन्द की। प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही होने से प्रतिवादीगण की ओर से खण्डन में कोई मोखीक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। बहस अंतिम सुनी गई।

वादीगण की ओर से दोराने बहस वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र में अंकित किये गये तथ्यो व वादी जगदीश व गवाह भवरलाल के शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुवे न्यायालय का ध्यान प्रदर्श 1 रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की ओर दिला कर निवेदन किया कि वादग्रस्त पुरानी आराजी सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा पहले किशोरिया पिता सेवा चमार के नाम पर दर्ज थी जिसे वादी सं॰ 1 व 2 ने तथा उनके भाई जोरजी व बंशीलाल ने प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के पिता किशोरिया से दिनांक 3–3–86 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तब से वादीगण उक्त आराजी पर काबीज होकर उसका उपयोग व उपभोग निरन्तर शान्तिपुर्वक बीना किसी बाधा के करते चले आ रहे हैं, जो प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 की भली भाती जानकारी में हैं। उक्त पुरानी आराजी सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा के हाल सेटलमेन्ट में नये नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर बने हैं यह प्रदर्श 2 मीलान क्षैत्रफल से साबीत हैं। वकील वादीगण ने दोराने बहस कहा कि उक्त आराजी खरीद सुदा होकर उस पर बवादीगण का कब्जा होने के बाजुद भुप्रबन्ध विभाग ने नई पेमाईसी के वक्त उक्त आराजी 350 रकबा 0.46 हेक्टर को जगदीश, प्रेमचन्द, जोरजी व बंशीलाल के नाम पर दर्ज करने के बजाय पुनः किशारिया पिता सेवा चमार के नाम पर बीना किसी हक व अधिकार के दर्ज कर दी तथा किशोरिया के देहान्त के बाद विरासत से उक्त आराजी प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के नाम पर दर्ज करवा ली हैं, जो कतेई गलत है। वादग्रस्त जमीन वादी सं॰ 1 व 2 ने तथा उनके भाईयो जोरजी व बंशीलाल ने मील कर खरीदी थी। जो सेटलमेन्ट विभाग वालो को वादी सं॰ 1 व 2 तथा जोरजी व बंशीलाल के नाम पर दर्ज करनी थी चारो भाईयो का उसमें 1/4 – 1/4 हिस्सा दर्ज करना था, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग वालो ने वादग्रस्त आ॰सं॰ 185/1 के नये नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर को पुनः किशोरिया पिता सेवा के नाम पर दर्ज कर भारी व गम्भीर भुल की है। तथा किशोरिया के देहान्त के बाद प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 ने वादग्रस्त उक्त आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर अपने नाम पर दर्ज करवाली हैं जो गलत हैं वादग्रस्त आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर को प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के नाम से हटा कर पुनः वादीगण के नाम पर दर्ज

आदेश प्रदान करावे व वादीगण को उक्त आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नहीं करे जबरन कब्जा कर वादीगण को काश्त करने में बाधा नहीं डाले व जमीन को कही रहन बय वगैरा नहीं करे।

वकील वादीगण की ओर से की गई बहस को ध्यान पुर्वक सुन कर पत्रावली का भली भांती अवलोकन कर पत्रावली पर मोजुद आई साक्ष्य व दस्तावेजो का गम्भीरता पुर्वक परिसीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हैं की पुरानी आराजी सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा किशोरिया पिता सेवा चमार के नाम पर दर्ज थी, जिसे किशोरिया ने दिनांक 3–3–86 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्रदर्श–1 के द्वारा वादी सं॰ 1 जगदीश, वादी सं॰ 2 प्रेमचन्द व उनके भाई जोरजी व बंशीलाल को 12,000/रूपये में विक्रय कर आराजी का कब्जा चारो भाईयो को दे दिया। उक्त पुरानी आराजी सं॰185/1 के सेटलमेंट में नये नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर बने हैं जो प्रदर्श –2 से साबीत है। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो को नये आ॰सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर को सेटलमेन्ट के राजस्व रेकार्ड में वादी सं॰ 1 जगदीश वादी सं॰ 2 प्रेमचन्द व उनके भाई जोरजी व बंशीलाल के नाम पर दर्ज करनी चाहिये थी, परन्तु सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो ने ऐसा नहीं कर नये आ॰सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर को पुनः राजस्व रेकार्ड में किशोरिया पिता सेवा चमार के नाम पर दर्ज कर दी जबकी सेटलमेन्ट विभाग के अधिकारियो को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था।

वादी सं॰ 1 जगदीश ने अपना शपथ पत्र न्यायालय में पेश कर शपथ पत्र में अंकित तथ्यो को न्यायालय के समक्ष सही होना स्वीकार कर कहता हैं कि उसने व उसके भाई प्रेमचन्द जोरजी व बंशीलाल ने मील कर पु॰आ॰सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा जमीन 12,000/रूपये में किशोरिया पिता सेवा चमार से खरीद कर चारो भाईयो ने कब्जा प्राप्त किया हैं तब से निरन्तर शान्ति पुर्वक बीना किसी अवरोध के उक्त जमीन पर वे काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे है व आज भी उक्त आराजी पर वादीगण काबीज होकर आराजी का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। सेटलमेन्ट वालो को नये आराजी नं॰ 350 रकबा 0.46 जगदीश, प्रेमचन्द जोरजी व बंशीलाल के नाम पर दर्ज करने थे परन्तु उन्होने ऐसा नहीं कर उक्त नये आराजी नं॰ 350 को पुनः किशोरिया के नाम पर दर्ज कर दिया जिसका उन्हे कोई हक व अधिकार नहीं था।

गवाह पी.डब्ल्यु–2 भंवरलाल कहता है कि वादी जगदीश, प्रेमचन्द तथा उनके भाई जोरजी व बंशीलाल पिता नानुराम जी मेघवाल ने पुरानी आ॰सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा किशोरिया पिता सेवा चमार से 12,000/ रूपये में दिनांक 3–3–86 को खरीद कर रजिस्ट्री कराई थी, व आराजी का कब्जा दिया था। गवाह भंवरलाल स्वीकार करता हैं कि विक्रय पत्र प्रदर्श–1 उसके सामने निष्पादीत कर पंजियन कराया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर गवाह के रूप में मोजुद हैं। पु॰आ॰सं॰ 185 /1 के नये नम्बर 350 बने हैं जो वादी सं॰ 1 व 2 के नाम पर तथा जोरजी व बंशीलाल के नाम पर दर्ज होने चाहिये थे। तथा जोरजी व बंशीलाल के देहान्त के बाद उनके वारीसान वादी सं॰ 3 से 9 के नाम पर दर्ज होने चाहिये थे परन्तु सेटलमेन्ट वालो ने नये आराजी नं॰ 350 बीना किसी हक व अधिकार के पुनः किशोरिया के नाम पर दर्ज कर दिये हैं जो गलत हैं तथा किशोरिया के देहान्त के बाद विरासत से प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गये हैं जो गलत हैं। प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी सं॰ 350 पर कभी भी कब्जा नहीं रहा हैं। बल्की खरीद दिनांक से वादग्रस्त आराजी पर वादीगण काबीज हैं।

विक्रय पत्र प्रदर्श–1 देखने से स्पष्ट हैं कि किशोरिया ने अपनी पु॰आ॰सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा वादी जगदीश, प्रेमचन्द व उनके भाई जोरजी व बंशीलाल के बयान कर रूपये प्राप्त किये व कब्जा दिया।, भवरलाल मेधवाल के हस्ताक्षर भी गवाह के रूप में उक्त विक्रय पत्र पर मोजुद है। प्रदर्श –2 से यह भी स्पष्ट हैं कि उक्त पुराने नम्बर 185/1 के नये नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर बने हैं। जो नये सेटलमेन्ट में वादी सं॰ 1 जगदीश, वादी सं॰ 2 प्रेमचन्द तथा जोरजी व बंशीलाल के नाम पर दर्ज करने चाहिये थे परन्तु सेटलमेन्ट वालो ने बीना किसी हक व अधिकार के उक्त नये नम्बर 350 पुनः किशौरिया के नाम पर दर्ज कर दिये तथा किशोरिया के देहान्त के बाद विरासत से प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गये हैं। जो गलत है। उक्त दस्तावेजो से स्पष्ट हैं कि आ॰सं॰ 185/1 रकबा 2 बीघा 3 बीस्वा जगदीश,

प्रेमचन्द जोरजी व बंशीलाल द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त करना साबीत हैं तथा उक्त पुराने नम्बर की नये नम्बर 350 रकबा 0.46 हेक्टर बनना व उस पर खरीद दिनांक से वादीगण का कब्जा होना साबीत हैं। परन्तु सेटलमेन्ट वालो को नये आराजी नं 350 रकबा 0.46 हेक्टर को वादी सं॰ 1 जगदीश, वादी सं॰ 2 प्रेमचन्द, तथा उनके भाई जोरजी, बंशीलाल पिता नानुराम के नाम पर दर्ज करने थे जो नहीं कर पुनः किशोरिया के नाम दर्ज कर दिये व किशोरिया के देहान्त के बाद विरासत से प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के नाम पर दर्ज हो गये हैं जो गलत हैं प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 का वादग्रस्त आ.सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर में कोई हक नहीं हैं ना वे प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

हालाकी प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 की ओर से ऐसे कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं किया गया हैं, जिससे यह साबीत हो की वादीगण के द्वारा पेश सबुत व साक्ष्य गलत या विश्वास करने योग्य नहीं हो। इस प्रकार वादी के द्वारा प्रस्तुत मोखीक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य अखण्डीत रही है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मोजुद नहीं हैं जिससे यह साबीत हो सके कि प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 उक्त आराजी सं॰ 350 के स्वामी होकर आराजी पर उनका कब्जा हो बल्की उपरोक्त विवरण से स्पष्ट हैं कि आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर वादी सं॰ 1 जगदीश, वादी सं॰ 2 प्रेमचन्द तथा उनके भाई मृतक जोरजी के वारीसान वादी सं॰ 3, 4 व 5 तथा मृतक बंशीलाल के वारीसान वादी सं॰ 6, 7, 8 व 9 के स्वामित्व व आधिपत्य की हैं तथा उसका उस पर वे दिनांक 3–3–86 से बतौर स्वामी व मालीक के काबीज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। इसलिये वादीगण उक्त आराजी आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर वाके गाव सेमरथली के स्वामी व खातेदार घोषित कराने के अधिकारी पाये जाते हैं तथा साथ ही वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी अधिकारी पाया जाता हैं।

परिणाम स्वरूप वादीगण का वाद प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के विरुद्ध स्वीकार किया जाकर वादीगण को गाव सेमरथली की आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर का स्वामी व खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर पर किसी तरह से मदाखलत मजाहमत नहीं करे वादीगण को जबरन बेदखल कर कब्जा नहीं करे वादीगण को आराजी के उपयोग उपभोग में खलल पैदा नहीं करे ना ही उक्त आराजी को किसी अन्य को बेचान नहीं करे ना अन्य तरह से हतान्तरण करे। प्रतिवादी सं॰ 3 को आदेश प्रदान किया जाता हैं कि वह गाव सेमरथली के राजस्व रेकार्ड मे से आराजी सं॰ 350 रकबा 0.46 हेक्टर को प्रतिवादी सं॰ 1 व 2 के नाम से हटा कर वादीगण के नाम पर दर्ज कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को प्रेषित करावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे। उरोक्त अनुसार डिक्री बनाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11 – 07 – 2017 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मण्डोवरा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी